(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2592–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–01–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 155/ अपील/2011–12

लक्ष्मणगिर पिता सज्जनगिरजी गुसाई
निवासी–गांव होसीगांव तहसील व जिला
रतलाम (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

हेमेन्द्र पिता डायाभाई प्रजापति,
निवासी–इन्द्रलोक नगर, रतलाम (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री सुभाष चौधरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आशीष वैद्य, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/7/ 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत एक आवेदन ग्राम डोसीगांव स्थित सर्वे नं0 72 रकबा

0.860 भूमि पर आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने के लिए रूढिगत रास्ता सर्वे नं0 71/9/1 की दक्षिण व पश्चिमी मेड पर है, जो पश्चिमी मेड वाला रास्ता अनावेदक द्वारा लगाये गये अवरोध तार को हटाकर दिलवाया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/2007–08 दर्ज कर तथा उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात पारित आदेश दिनांक 26–08–2010 से अनावेदक को सर्वे क्रमांक 72 जो की आवेदक की भूमि है। उक्त भूमि में आने–जाने हेतु अवरूद्व को हटाकर रास्ता दिये जाने के लिये राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया। तहसीलदार के आलोच्य आदेश दिनांक 26–08–2010 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–10–2011 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त उजजैन के समक्ष पेश की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 31–01–2013 से अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश को स्थिर रखा। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश कर बताया कि उसके आधिपत्य की भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने का रास्ता अनावेदक द्वारा तार लगाकर बंद कर दिया है जिसे हटाया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26–8–2010 को रास्ता खोलने के आदेश दिये, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने बंद करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में मनमाना कयास लगाकर जो रास्ता बताया है उस पर फैक्ट्रीयों के मालिकों द्वारा अतिकमण कर रखा है, जबकि उक्त रास्ता भी काफी दूर है। अनावेदक की भूमि की पश्चिम मेड

पर पहुंचने तक आज भी शासकीय रास्ता चालू है, बल्कि रास्ता अवरूद्ध तो केवल अनावेदक द्वारा अपनी मेड पर किया है। तर्क में यह भी कहा कि वैकल्पिक मार्ग होने के संबंध में जो कयास अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने लगाये हैं वह बिलकुल गलत है क्योंकि मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और आवेदक की भूमि ही आजीविका का साधन है। पिछले पांच वर्षों से रास्ता न होने के कारण आवेदक की भूमि पड़त पडी हुई है। यदि उसे कोई वैकल्पिक रास्ता भी खेत पर जाने के लिए दिला दिया जाता है तो भी स्वीकार है। आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क में कहा कि आवेदक की भूमि पर जाने का रास्ता सर्वे कमांक 88/1 शासकीय चारागाह भूमि पर से है परन्तु आवेदक अपनी भूमि पर आने जाने के लिए अनावेदक की भूमि में से वैकल्पिक रास्ता चाह रहा है, जो नहीं दिया जा सकता है। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने वैकल्पिक रास्ता होने का आदेश किया है तथा अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30–7–2010 को हल्का पटवारी द्वारा मौके का निरीक्षण का स्थल पंचनामा तैयार किया है जिसपर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं। उक्त स्थल पंचनामें आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 72 रकबा 0.860 हे0 मे जाने हेतु सर्वे कमांक 71/9/1 की पश्चिम मेड से होकर उनके खेत में जाने का रास्ता पूर्व से होने का लेख है। वर्तमान में सर्वे कमांक 71/9/1 की पश्चिमी मेड एवं रेल्वे की भूमि के मध्य होकर जाने का रास्ता अनावेदक द्वारा तार फेंसिंग डालकर बन्द करने का भी लेख

है तथा आवेदक ने वर्ष 2008–09 में अपने भूमि में कुछ फसल नहीं बोई होने का लेख है। तहसीलदार ने मौके के स्थिति एवं स्थल पंचनामे के आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर जाने वाले रास्ते को रोकने संबंधी तथ्य को सही पाया तथा तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26–8–2010 के द्वारा तार को हटाकर रास्ता देने और अनावेदक द्वारा आवेदक को रास्ता नहीं देने पर 5000/– का मूचलके का आदेश दिया है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी ने वैकल्पिक रास्ते का लेख किया है परन्तु आवेदक की भूमि के लिए जाने वाले वैकल्पिक रास्ता कौन सा है इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही अपर आयुक्त ने आदेश पारित किया जो उचित नहीं कहा जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–10–2011 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–1–2013 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उन्होंने अपने आदेश में आवेदक को अपने खेत पर जाने के लिए जिस वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख किया है वहां स्वयं आवेदक तथा अनावेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करें तथा आवेदक को वैकल्पिक अथवा रूढ़िगत रास्ता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर